न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/554/2025 वाद — दायर दिनांक 06.08.2025

देवजी — उनवान बनाम — कैलाशचन्द्र वगैराह

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 :–

निर्णय दिनांकः 03.02.2026

–:निर्णयः–

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि–

1. यह कि उक्त प्रकरण में वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा हैं, कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 कैलाशचन्द्र के पक्ष में निष्पादित जैरबहस आराजीयात के पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 25.06.2019 को फर्जी एवं धोखे से निष्पादित किये जाने से निरस्त घोषित किया जावें।
2. यह कि वादी द्वारा इसी आशय के अनुतोष यानि उक्त विक्रयपत्र को निरस्त कराने के लिये सिविल न्यायालय कपासन में प्रकरण संख्या 08/2020 दीवानी (वाद) पेश कर रखा हैं और उसमें भी प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र को निरस्त करने हेतु अनुतोष चाहा हैं, इसकी नकल संलग्न हैं।
3. यह कि विक्रयपत्र को निरस्त करने बाबत अनुतोष केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है और ऐसा वाद वादी ने पेश भी कर रखा हैं, राजस्व न्यायालय को विक्रयपत्र को निरस्त करने का अधिकार नही हैं।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान वादपत्र को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सिधे ही बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादी द्वारा दिनांक 25.06.2019 को निष्पादित विक्रयपत्र ग्राम तस्वारिया की आराजी संख्या 1859 व 1860 की फर्जी व बोगस विक्रयपत्र को शुन्य व प्रभावहीन घोषित कराये जाने की प्रार्थना के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही इसी आशय का एक वादपत्र प्रकरण संख्या 08/2020 सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसकी छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अतः विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत अनुतोष राजस्व न्यायालय को नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन

हमने पत्रावली व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया। की गई बहस पर गहन मनन किया। वाद पत्र में चाही गई दाद फर्जी व बोगस विक्रय पत्र को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित कराये जाने बाबत् सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है. जिससे वादपत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नही है। अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तंवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन